राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015

टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141–2707679,ई–मेलः–rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक :– प.4(20)एस.पी. / 2018–19 / 655 दिनांक :– 20/4/18

सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
मण्डल मुख्यालय,
समस्त

विषय :–कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर (अभिरूचि एवं लघु उद्योग प्रशिक्षण) 11 मई से 18 जून, 2018 तक।

महोदय / महोदया,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2018–19 के अनुसार बालक / बालिकाओं में श्रम के प्रति निष्ठा, स्वावलम्बन, आत्मविश्वास आदि गुणों के विकास एवं ग्रीष्मावकाश के खाली समय के सदुपयोग की दृष्टि से प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण शिविरों (अभिरूचि एवं लघु उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों) का आयोजन एवं संचालन किया जाना है।

इन केन्द्रों पर अधिक से अधिक बालक / बालिकाओं को लाभान्वित किया जा सके, इस दृष्टि से यह प्रयास किया जावे कि सभी जिला एवं मण्डल मुख्यालयों तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय संघ मुख्यालयों पर इन केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित किया जावे।

अतः आप निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इन शिविरों की प्रस्तावित कार्य योजना सभी जिला मुख्यालयों से **प्रपत्र "अ" में प्राप्त कर 30 अप्रैल, 2018 तक** इसकी स्वीकृति जारी करते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाएँ–

क्र.सं	**केन्द्र का स्तर**	**न्यूनतम प्रशिक्षणार्थी सं.**	**केन्द्रो की संख्या**
1.	मण्डल मुख्यालय स्तरीय	400	प्रति मण्डल 1 कुल 07
2.	जिला मुख्यालय स्तरीय	300	प्रति जिला 1 कुल 33
3.	स्थानीय संघ स्तरीय	200	प्रति जिला 2 कुल 66
4.	ग्रुप स्तरीय	100	प्रति जिला 2 कुल 66

शुल्क :– प्रवेश शुल्क प्रति सम्भागी 100 / – रू. तथा विशेष शुल्क कम्प्यूटर या किसी अन्य विशेष विषय के लिए 200 / – रू. निर्धारित है। इसके अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लिया जावे।

प्रशिक्षक :– दक्ष प्रशिक्षकों के रूप में यथा संभव स्काउटर / गाइडर या अध्यापक / अध्यापिकाओं को लगाया जावे। विशेष परिस्थिति में यदि व्यवसायिक प्रशिक्षकों को लगाया जाना आवश्यक हो तो उनको देय मानदेय / वाहन व्यय आदि हेतु सहायक राज्य संगठन आयुक्त की लिखित स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स्वीकृत योजना के अनुसार इन केन्द्रों के समुचित संचालन की व्यवस्था करवाकर आश्वस्त हों तथा केन्द्र प्रारम्भ होते ही संबंधित संचालक द्वारा केन्द्र के प्रारम्भ होने की सूचना मोबाइल द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को दी जावे।

शिविर समापन उपरान्त 20 जून 2018 तक सभी संचालक इसका प्रतिवेदन **प्रपत्र–ब** में दो–दो प्रतियों में तैयार कर अपने मण्डल मुख्यालय को भिजवाएगें। मण्डल मुख्यालय पर मण्डल क्षेत्र के सभी शिविरों की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रपत्र–स में समेकित विवरण तैयार कर प्रपत्र–ब की एक–एक प्रति सहित राज्य मुख्यालय को 25 जून, 2018 तक प्रेषित करेंगे।

सहायक राज्य संगठन आयुक्त इन शिविरों की योजना स्वीकृति उपरान्त क्रियान्विति के दौरान विजिट से यह सुनिश्चित करेंगें कि स्वीकृत योजना अनुसार उपलब्धियॉ अर्जित हो रही हैं।

1. अभिरूचि केन्द्रों पर अधिकाधिक बालक / बालिकाओं को प्रवेश देकर लाभान्वित किया जावे। इसके लिए अभी से प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।